न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष **मनोज गोयल,**
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमाक 58-दो/1991 विरूद्ध आदेश दिनांक 21-01-199[illegible] पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना प्रकरण क्रमांक 133/1977-78/नि०

1- तुलसीराम पुत्र मनोहर जाटव
2- राधाकिशन पुत्र अजान सिंह
निवासीगण रतन का पुरा परगना अम्बाह
जिला-मुरैना

.... आवेदकगण

विरूद्ध

1- वीरेन्द्र सिंह पुत्र हीरासिंह ठाकुर
निवासी डोडरी परगना अम्बाह जिला मुरैना।
2- सुरेन्द्र सिंह पुत्र गजेन्द्र सिंह ठाकुर
3- सत्येन्द्र सिंह
4- जितेन्द्र सिंह पुत्रगण वीरेन्द्र सिंह ठाकुर
निवासीगण डाडरी, परगना अम्बाह
जिला-मुरैना, मध्यप्रदेश।

.... अनावेदकगण

श्री एस0क0 अवस्थी, अभिभाषक, आवेदकगण
एकपक्षीय अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक [illegible] को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू0—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप
मे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, चम्बल संभाग
मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 21—01—1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है

प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप मे इस प्रकार है कि अनावेदक क्र0 4 जितेन्द्र सिंह ने
ग्राम ओहरी के भूमि सर्वे क्रमांक 1557 /3, 1771 /2 1772/2 का सीमांकन कराने हेतु
संहिता की धारा 129 के अंतर्गत आवेदन पत्र नायब तहसीलदार, अम्बाह के समक्ष पेश
किया । नायब तहसीलदार अम्बाह द्वारा निरीक्षक, वृत्त—3 को सीमांकन की कार्यवाही का
आदेश दिया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनाक 20—08—1987 को सीमांकन के संबध
में प्रतिवेदन नायब तहसीलदार को प्रस्तुत किया की सीमांकन करा कर स्थल पर मुड्डी
कायम करा दी । राजस्व निरीक्षक के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार ने
दिनाक 20—8—77 को आदेश पारित किया कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार
सीमांकन किया जा चुका है । अतः प्रकरण निरस्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड हो
संलग्न नक्शे के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम किया जावे व कागजात में आवश्यक
संशोधन किया जावे । नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20—08—77 के
विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 30—08—77 को इस आशय से आवेदन पेश किया कि
सीमांकन के दौरान उनके कब्जे की भूमि जितेन्द्र सिंह के सर्वे नं0 1557 / 3 मे कर दी
गई है, जांच किया जाकर न्यायोचित आदेश पारित हो । किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत
आवेदन पर नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 15—9—77 को आदेश पत्रिका में यह लेख
किया कि उनके द्वारा अंतिम आदेश दिनांक 20—08—77 को पारित किया जा चुका है
अतः ऐसी स्थिति मे पुनः अपील की जा सकती है या फिर रिव्यु की अनुमति लेकर पुनः
कार्यवाही की जा सकती है । नायब तहसीलदार ने आदेश पत्रिका में यह भी लेख किया
कि आपत्तिकर्ता सुरेन्द्र सिंह का कहना है कि पुनरावलोकन की अनुमति लेना उचित है
क्योंकि उसके लिये पर्याप्त आधार है । तदनुसार नायब तहसीलदार ने पुनरावलोकन की
अनुमति हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत किया । अनुविभागीय अधिकारी ने
प्र0क्र0 04 / 76—77 / अ—12 में पारित आदेश दिनांक 03—10—77 द्वारा पुनरावलोकन की
अनुमति दी । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03—10—77 से असंतुष्ट

होकर अनावेदक क्र0 1 विरेन्द्र सिंह ने निगरानी अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर मुरैना ने प्र0क्र0 1/77–78 में निगरानी में पारित आदेश दिनांक 25–04–78 मे यह निष्कष निकाला कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–08–77 संहिता की धारा–56 के प्रावधानों के अनुसार पारित आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अतः धारा–51 के अंतर्गत उक्त आदेश का पुनरावलोकन के लिए प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 15–09–77 अवैधानिक है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुनरावलोकन की अनुमति हेतु पारित आदश दिनाक 03–10–77 अबैध है । अंत में अपर कलक्टर मुरैना ने अनुविभगीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–10–77 निरस्त कर दिया । अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–04–78 से दुखी होकर आवदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त मुरैना के समक्ष पेश किया गया । निगरानी प्र0क्र0 131 व 133/77–78 पंजीबद्ध किया जाकर अपर आयुक्त मुरैना द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–08–86 से अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश निरस्त किया गया । इसी आदेश को इस निगरानी में आवेदकगण द्वारा चुनौती दी गई है ।

1. आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं कि अपर आयुक्त एवं अपर कलेक्टर ने प्रकरण के कानूनी स्थिति को समझे बगैर जो आदेश पारित किया है वह आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित पुनरावलोकन आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण ग्राह्य न होने से निरस्ती योग्य है । आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी बताया गया है कि अपर आयुक्त का यह मत की धारा–129 लैण्ड रिकार्ड कोड के आधीन पारित आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान नहीं है, इस कारण से पुनरावलोकन नहीं हो सकता है । अपील का वर्जन होने के आधार पर पुनरावलोकन का वर्जन होना नहीं माना जा सकता है । ऐसे प्रकरण में निगरानी हो सकती है जैसा कि अपर आयुक्त ने भी माना है कि पुनरावलोकन हो सकता है । तहसीलदार द्वारा पूर्ण रूप से पुनरावलोकन की अनुमति नहीं चाही गई थी, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सही तौर पर पुनरावलोकन की अनुमति दी गई थी । अंत में आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा अनुविभगीय अधिकारी

...रा पारित आदेश स्थिर रखते हुये अपर आयुक्त मुरैना एवं अपर कलेक्टर मुरैना द्वारा पारित आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

... अनावेदकगण प्रकरण में सूचना उपरांत अनुपस्थित रहे इसलिये अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है ।

5/ प्रकरण में प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । संहिता की धारा 129 में पारित सीमांकन आदेश को त्रुटिपूर्ण मानते हुए पुनर्विलोकन की जो अनुमति दी गई थी उसमें प्रथमदृष्टया कोई वैधानिक त्रुटि दिखलाई नहीं पड़ती है । अपर आयुक्त का यह मानना सही नहीं है कि जिस आदेश की अपील नहीं हो सकती उसका पुनर्विलोकन भी नहीं हो सकता । दोनों शक्तियों का उपयोग अलग-अलग परिस्थितियों के लिये होता है । अतः इस संबंध में आवेदक की आपत्ति स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 21—1—1991 निरस्त किया जाता है । प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख अब उपलब्ध नहीं है तो पक्षकार यदि चाहे तो दोबारा सीमांकन की कार्यवाही करा सकता है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर